न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या–192/2022

अभय कुमार एवं अन्य ....पुनरीक्षणकर्तागण।

बनाम्

1. बिहार सरकार ....विपक्षी पक्ष संख्या–01
2. अरूण तिवारी एवं अन्य ....विपक्षी पक्ष संख्या–02।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री शशिकान्त वर्मा।

web copy not official

05.01.2023 पुनरीक्षणकर्ता की हाजिरी दी गई। पुकार पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शशिकान्त वर्मा एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री विरेन्द्र नारायण सिंह को सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, विवादित भूमि के निश्वत पूर्व से लंबित स्वत्व वाद सं0–194/21 लंबित रहने के बावजूद विद्वान अनुमंडल दण्डाधिकारी, महुआ, वैशाली द्वारा मुकदमा सं0–298/22 अन्तर्गत 144 दण्ड प्रकिया संहिता की कार्रवाई में पारित आक्षेपित आदेश द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के अन्तर्गत कारवाई हेतु परिवर्तित की गई है जो विधिसम्मत नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को ध्यान में रखते हुये यह पुनरीक्षण वाद सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे एल0सी0आर0 हेतु मांग पत्र जारी करे तथा पुनरीक्षणकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी सं0–02 की उपस्थिति हेतु नोटिस का अपेक्षित दाखिल करे।

वाद दिनांक–21.01.2023 वास्ते उपस्थिति एवं सुनवाई हेतु।

सत्र न्यायाधीश,
हाजीपुर, वैशाली।